न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 85/2012

1. शिवराम (मृतक)
   1/1. अजयसिंह पुत्र शिवराम
   1/2. श्रीमती लालवती पत्नी अजयसिंह जातियान जाटव निवासीयान जिरौली तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी बसंत विहार कॉलोनी रीको रोड भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. मौहरसिंह (मृतक)
   1/1. उदयराम, 1/2. लाखनसिंह — पुत्रान मौहरसिंह
   1/3. श्रीमती पुत्री मौहरसिंह
   — जाति जाटव निवासी ग्राम जिरौली तह0 व जिला भरतपुर।
2. छिद्दी
3. फगुनी
4. श्रीचन्द (मृतक)
   4/1. ओमप्रकाश, 4/2. हुकमसिंह — पिसरान श्रीचन्द जाति जाटव निवासी जिरौली (जघीना) तह. व जिला भरतपुर
   4/3. सौमोती बेवा श्रीचन्द
5. नत्थी — मृतक
   5/1. रतनसिंह
   5/2. हरीसिंह
   5/3. लालसिंह
   5/4. भीकमसिंह
   5/5. रूपसिंह
   — पिसरान नत्थी जाति जाटव निवासी जिरौली तहसील व जिला भरतपुर।
   5/6. श्रीमती बचनी पुत्री नत्थी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 14—01—2020

वादीगण द्वारा यह दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण दि0 15.03.1995 को इस आशय का पेश किया गया कि वादी आराजी खसरा नंबर 5321 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम जिरौली (जघीना) तहसील भरतपुर का काफी लंबे अर्से दराज से खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। भू–प्रबंध विभाग ने उक्त आराजी का खसरा नंबर 10475 रकबा 34 एयर बनाया है जो कि गत खसरा नंबर 5321 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तथा 5323 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को मिलाकर बनाया गया है। यदि उक्त खसरा नंबर 10475 दोनों खसरा नंबरान को मिलाकर बनाया गया है तो इसका रकबा 59 एयर होना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है। वादी के रकबा में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम भी खातेदार दर्ज कर दी गई है। जो कि कतई गलत व खिलाफ कानून है। गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के कब्जे व काश्त में प्रतिवादी मदाखलत व मजाहमत करने का प्रयास करते हैं। व वादी को आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को असीम क्षति होगी।

वादी ने हाल खसरा नंबर 10475 रकबा 32 एयर का खातेदार घोषित किए जाने एवं इस नंबर में जो इन्द्राजात प्रतिवादीगण के नाम हो रहे हैं, वे गलत हैं तथा कलमजन किए जाने यौग्य हैं। यदि प्रतिवादीगण इस नंबर को अपना बतलाते हैं तो वादी के पुराने खसरा नंबर 5321 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम जिरौली तह0 भरतपुर का अलग से खसरा नंबर बनाया जाकर उसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के तलवी नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण की ओर से दि0 06.01.1996 को जवाब पेश हुआ, शामिल मिसल किया गया।

दावा जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईं –

1. **तनकी सं0 1 –** ''आया कि भूप्रबंध विभाग ने खसरा नंबर 10475/0.34 बनाया है जो कि खसरा नंबर 5321 रकबा 1.13 बीघा व 5323 रकबा 1.19 बीघा को मिलाकर बनाया गया है, में वादी के रकबा में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।'' .....वादीगण

2. **तनकी सं0 2** – ''आया प्रतिवादीगण ने 03.01.1995 एवं 07.03.1995 को वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने बावत धमकी दी।'' .....वादीगण
3. **तनकी सं0 3** – "आया वादी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का मुस्तहक है।" .....वादीगण
4. **तनकी सं0 4** – "आया प्रतिवादीगण वादी से 1000 रु. हर्जा पाने का मुस्तहक है।" .....प्रतिवादीगण
5. **दादरसी ?**

उक्त पत्रावली में पूर्व में न्यायालय द्वारा दि0 28.04.2003 को निर्णय किया जाकर दावा वादी डिक्री किया गया था। उक्त निर्णय डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष पेश की। जिसका निर्णय दि0 20.01.2006 को किया जाकर यह आदेश पारित किया गया था कि अपील अपीलाण्ट क्रमशः 124/2003 व 125/2003 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दि0 28.04.2003 अपास्त किए जाकर प्रकरण उन्हें इसन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाते हैं कि प्रकरण में किसी राजस्व अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान के कब्जे की स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करें। उसके बाद सैटलमेंट विभाग के पूर्व में अभिलेख के अनुसार पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करते हुए अभिलेख में तदानुसार अंकन करावें।

उक्त आदेश के पश्चात पत्रावली न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के आदेशानुसार तहसीलदार भरतपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक रीडर/07/150 दि0 02.03.2007 से वादग्रस्त आराजी व पक्षकारान व कब्जे के संबध में रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई, जो संलग्न पत्रावली है। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित कार्यवाही की गई।

चूँकि प्रकरण में पूर्व में ही तनकियात स्थापित कर दोनों पक्षों की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी हैं। माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.04.2006 की पालना में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट पर गौर करते हुए तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

Web Copy - Not Official

तनकी सं0 1 – ''आया कि भूप्रबंध विभाग ने खसरा नंबर 10475/0.34 बनाया है जो कि खसरा नंबर 5321 रकबा 1.13 बीघा व 5323 रकबा 1.19 बीघा को मिलाकर बनाया गया है, में वादी के रकबा में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।'' इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है । माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेशानुसार प्रकरण में मौका कमिश्नर तहसीलदार भरतपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो संलग्न पत्रावली है। जिसके अनुसार हाल खसरा नंबर 10475/0.34 गत खसरा नंबर 5321 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा 5323 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बना है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार हाल खसरा नं0 10475/0.34 पर शिवराम पुत्र हुकमी का नाम हटाया अंकित किया गया है तथा शिवराम के गत खसरा नं0 5321 की पूर्ति के लिए हाल खसरा नं0 10475/0.34 से 3 एयर कम कर व शिवराम स्वयं की खातेदारी में बढ़े हुए खसरा नं0 10447/0.13 में से 5 एयर रकबा कम कर व हाल खसरा नं0 10451/0.20 में से 11 रकबा कम कर व हाल खसरा नं0 10476/0.27 में से 0.07 कम कर नया बटा नंबर 10475/1/0.26 मुताबिक मौका व कब्जा के अनुसार शिवराम के नाम खातेदारी में अंकित किया है तथा हाल खसरा नं0 10458/0.17 को मौका व रिकार्ड के अनुसार शिवराम के नाम तथा 10461/0.18 व 10462/0.01 को कब्जा व मौके के अनुसार मौहर सिंह के नाम किया जाना अंकित किया है।

अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार भरतपुर की कब्जे व मौका की रिपोर्ट के अनुसार यह तनकी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मुताबिक मौका रिपोर्ट हाल खसरा नं0 10475/0.34 में मृतक शिवराम व उसके वारिसान का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी मौहरसिंह (मृतक) व उसके वारिसान को खातेदार दर्ज किया जावे तथा हाल खसरा नं0 10475/0.34 में से 3 एयर रकबा कम कर व हाल खसरा नं0 10447/0.13 में से 5 एयर कम करके व खसरा नं0 10451/0.20 में से 11 रकबा कम करके व खसरा नं0 10476/0.27 में से 7 एयर रकबा कम करके कुल 3+5+11+7= 26 एयर का बटा नंबर 10475/1/0.26 बनाते हुए वादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा खसरा नं0 10458/0.17 पर वादी मृतक

शिवराम (उसके वारिसान) खातेदार दर्ज रहेंगे व हाल खसरा नं0 10461/0.18 व 10462/0.01 पर वादी शिवराम (उसके वारिसान) के नाम कलमजन कर मृतक मौहरसिंह (उसके वारिसान) खातेदार दर्ज किए जावें।

उपरोक्तानुसार तनकी सं0 1 का निर्णय तदनुसार किया जाता है।

तनकी सं0 2व 3 – उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है चूंकि दोनों तनकीयां एक दूसरे के समान ही है इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है तनकी सं0 01 की विवेचना में विस्तृत निर्णय किया जा चुका है । वादीगण व प्रतिवादीगण को तनकी सं0 1 के अनुसार खातेदार दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें।

तनकी सं0 4 – आया प्रतिवादीगण वादी से 1000 रु. हर्जा पाने का मुस्तहक है , इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उभयपक्ष की खातेदारी की बाबत पूर्व में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है प्रतिवादीगण वादी से किसी भी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी नही है । अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

दादरसी – तनकी सं0 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में व तनकी सं0 4 का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण किया गया है। अतः दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाते हैं।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जघीना नं. 4 तहसील भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नं0 10475/0.34 में से 3 एयर रकबा कम कर उपरोक्त खसरा नंबर में वादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) के नाम कलम किए जाकर प्रतिवादी मृतक मौहरसिंह (उसके वारिसान) को 10475/0.31 व खसरा नंबर 10461/0.18, 10462/0.01 पर मृतक वादी शिवराम (उसके वारिसान) के नाम कलमजन किए जाकर प्रतिवादी मृतक मौहरसिंह (उसके वारिसान) को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जाता है तथा खसरा नंबर 10475 में से कम किए गए 3 एयर रकबा खसरा नंबर क्रमशः 10447/0.13, 10451/0.20, 10476/0.27 में क्रमशः 5 एयर, 11 एयर व 7 एयर कम करते हुए उपरोक्त नम्बरों का कुल

3+5+11+7=26 एयर का नवीन नंबर 10475/1/0.26 का नवीन नंबर कायम कर वादी मृतक शिवराम (उसके वारिसान) को खातेदार दर्ज किया जावे। हाल खसरा नंबर 10458/0.17 मृतक वादी शिवराम (उसके वारिसान) के नाम दर्ज रहेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। मौका रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर क्रमांक/रीडर/07/150 दिनांक 02.03.2007 निर्णय के साथ जुज रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official